उपखण्ड अधिकारी धोद मुकदमा
रामानन्द बनाम गणेश
12/3/2025

05/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० पत्रावली वास्ते जवाब आदेश दिनांक 14/08/25 को पेश हो।

11/8/25 पत्रावली के वकील प्रार्थी/वादी के मिलने तक तबदी डिक्रीज होने पर देनी है की गई। उपस्थित वकील प्रार्थी/वादी के अदालत समय पेश कर लिखित लिख के अपना डिक्रीज करने नहीं चलना चाहते है बता उसके कहा की वकील प्रार्थी/वादी व प्रार्थी/वादी के कुन्बा अतः वकील प्रार्थी/वादी व वादी प्रार्थी स्वयं के डिक्रीज पर वादी/प्रार्थी पाड़/लिखे की स्थान पर खारिज किया जाता है। इसी पत्रावली के वकील प्रार्थी उ5 तथा वकील प्रार्थी उ.7 ताउ का भी मुकदमे करने के है अतः उसे भी पक्षकार के मुकदमे लाना है लिखित प्रकरण करने करीब के बही चलाने बाबत डिक्रीज देने लिये उपस्थित को कहा। इस पत्रावली प्रार्थी, प्रार्थी उ5 तथा प्रार्थी उ.7 के डिक्रीज पर उनके वकील डाक्टर पक्षकार मुकदमे के पत्रावली में कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं होता प्रार्थी का व कार्यवाही पक्षकार भी स्वयं खारिज किये जाते है पत्रावली के बन्द होकर तकमील डाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 15:49:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)